21 अप्रैल, 2026 कार्यकारी आदेश 2026-04

भविष्यवाणी बाजारों और इवेंट कॉन्ट्रैक्ट्स पर बेटिंग के कारण होने वाले इनसाइडर ट्रेडिंग से इलिनॉय सरकार की अखंडता और जनता के विश्वास की रक्षा करने का कार्यकारी आदेश

जबकि, नैतिक, प्रभावी और पारदर्शी सरकार के लिए सरकारी एजेंसियों और कर्मचारियों की सत्यनिष्ठा में जनता का विश्वास और भरोसा आवश्यक है, और जो सरकारी कर्मचारी अपने आधिकारिक पदों और गैर-सार्वजनिक सूचनाओं तक पहुंच का उपयोग व्यक्तिगत लाभ के लिए करते हैं, उनका सरकार में जनता के विश्वास और भरोसे पर हानिकारक और अपमानजनक प्रभाव पड़ता है; और,

जबकि, लोक सेवा गैर-सार्वजनिक जानकारी तक पहुंच के आधार पर व्यक्तिगत संवर्धन और लाभ का साधन नहीं होनी चाहिए; और,

जबकि, इलिनॉय प्रोक्योरमेंट कोड (30 आईएलसीएस 500/50-50) की धारा 50-50 इसे किसी भी वर्तमान या पूर्व निर्वाचित या नियुक्त राज्य अधिकारी या राज्य कर्मचारी के लिए उस पद या रोजगार के कारण ही उपलब्ध गोपनीय जानकारी का जानबूझकर अपने या किसी अन्य व्यक्ति के वास्तविक या संभावित लाभ के लिए उपयोग करना गैरकानूनी बनाती है; और,

जबकि, जब सरकारी कर्मचारी इलिनॉय कानून का उल्लंघन करने वाला और राज्य के सर्वोत्तम हितों के विपरीत आचरण करते हैं, तो सरकार की नैतिकता और ईमानदारी में जनता का विश्वास और भरोसा कमजोर होता है; और,

जबकि इलिनॉय कानून के तहत अनुबंध या किसी अन्य माध्यम से गैंबलिंग में संलिप्त होने या उससे लाभ कमाने का कोई अधिकार नहीं है, अन्यथा *J&J Ventures Gaming, LLC v. Wild, Inc.*, 2016 IL 1198760, ¶ 26; और,

जबकि, विकसित और तेजी से बढ़ते पूर्वानुमान बाजार उपभोक्ताओं को सरकारी कार्रवाइयों, खेल, प्रतियोगिताओं और पुरस्कार समारोहों, गेमों, चुनावों, राजनीति, वैश्विक मामलों और पॉप संस्कृति जैसे विषयों को कवर करने वाले तथाकथित इवेंट अनुबंधों पर पैसा लगाने और बेट लगाने की अनुमति देते हैं; और

जबकि, पूर्वानुमान बाजार और सरकारी कार्रवाइयों, खेल, प्रतियोगिताओं और पुरस्कार समारोहों, गेमों, चुनावों, राजनीति, वैश्विक मामलों और पॉप संस्कृति को कवर करने वाले आयोजन अनुबंधों में इनसाइडर ट्रेडिंग और बाजार में हेरफेर को रोकने, ग्राहकों की सुरक्षा करने, समस्याग्रस्त जुआरियों की सहायता करने, नाबालिगों की पहुंच को प्रतिबंधित करने या आपराधिक गतिविधि का पता लगाने और उसे रोकने के लिए किसी भी सार्थक नियामकनिरीक्षण, प्रवर्तन या लाइसेंसिंग शर्तों का अभाव है; और,

जबकि, सरकारी कार्रवाइयों, खेलों, प्रतियोगिताओं और पुरस्कार समारोहों, गेमों, चुनावों, राजनीति, वैश्विक मामलों और पॉप संस्कृति को कवर करने वाले अनियमित और अनियंत्रित भविष्यवाणी बाजारों और घटना अनुबंधों का बढ़ता उद्भव सार्वजनिक हित को नुकसान पहुंचाता है और राज्य के कानूनी और अत्यधिक विनियमित गेमिंग बाजारों को कमजोर करता है; और,

जबकि, सरकार की नैतिकता और ईमानदारी में जनता का विश्वास और भरोसा तब खतरे में पड़ जाता है जब सरकारी कर्मचारी किसी भी प्रकार के पूर्वानुमान बाजारों और घटनाओं के अनुबंधों में भाग लेकर व्यक्तिगत लाभ के लिए अपने आधिकारिक पदों और गैर-सार्वजनिक सूचनाओं तक पहुंच का उपयोग करते हैं;

अतः, मैं, जेबी प्रित्जकर, इलिनॉय का राज्यपाल, इलिनॉय संविधान और इलिनॉय राज्य के कानूनों द्वारा मुझे प्रदत्त कार्यकारी अधिकार के आधार पर, और मौजूदा नैतिक आचरण आवश्यकताओं की पुष्टि करने तथा इलिनॉय सरकार की अखंडता और सार्वजनिक विश्वास की रक्षा करने के हित में, एतद्द्वारा निम्नलिखित आदेश देता हूँ:

1. "राज्य एजेंसी" से तात्पर्य इलिनॉय राज्य की कार्यकारी शाखा के किसी भी कार्यालय, विभाग, एजेंसी, बोर्ड, आयोग या प्राधिकरण से है। "राज्य कर्मचारी" से तात्पर्य किसी भी राज्य एजेंसी के किसी भी कर्मचारी, अधिकारी, नियुक्त व्यक्ति या बोर्ड सदस्य से है।

2. कोई भी राज्य कर्मचारी अपने पद से प्राप्त या राज्य कर्मचारी के रूप में अपने आधिकारिक दायित्वों के निर्वाह से अर्जित गैर-सार्वजनिक जानकारी का उपयोग किसी भी प्रकार के पूर्वानुमान बाजार या इवेंट अनुबंध में भागीदारी के संबंध में नहीं कर सकता है।

3. कोई भी राज्य कर्मचारी अपने पद से प्राप्त या अपने आधिकारिक दायित्वों के निर्वाह से अर्जित गैर-सार्वजनिक जानकारी का उपयोग किसी भी प्रकार के पूर्वानुमान बाजार या घटना अनुबंध में भाग लेने के संबंध में किसी अन्य व्यक्ति की सहायता करने के लिए नहीं कर सकता है।

4. इस कार्यकारी आदेश में ऐसा कुछ भी नहीं है जिसे किसी संघीय या राज्य कानून या नियम का उल्लंघन करने वाला माना जाए। इस कार्यकारी आदेश में कोई भी प्रावधान किसी भी राज्य एजेंसी की मौजूदा वैधानिक शक्तियों को प्रभावित या परिवर्तित नहीं करेगा।

5. यदि इस कार्यकारी आदेश का कोई प्रावधान या किसी व्यक्ति या परिस्थिति पर इसका प्रयोग किसी सक्षम न्यायालय द्वारा अमान्य घोषित किया जाता है, तो यह अमान्यता इस कार्यकारी आदेश के किसी अन्य प्रावधान या प्रयोग को प्रभावित नहीं करेगी जिसे अमान्य प्रावधान या प्रयोग के बिना प्रभावी किया जा सकता है। इस उद्देश्य को पूरा करने के लिए, इस कार्यकारी आदेश के प्रावधानों को विच्छेदनशील घोषित किया जाता है।

6. यह कार्यकारी आदेश राज्य सचिव के पास दाखिल होने के तुरंत बाद प्रभावी हो जाएगा।

_____
जे. बी. प्रिट्ज़कर
राज्यपाल

राज्यपाल द्वारा जारी: 21 अप्रैल, 2026
राज्य सचिव के समक्ष दायर किया गया: 21 अप्रैल, 2026